



**राजस्थान सरकार**  
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**  
**(अनुभाग-३, महात्मा गांधी नरेगा)**  
**शासन सचिवालय, जयपुर**



क्रमांक:-एफ 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/अवकाश/2018/00939

जयपुर, दिनांक :

18 FEB 2020

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस  
 एवं जिला कलबटर,  
 जिला समस्त, राजस्थान।

**विषय:-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बाबत**

**प्रसंग:- विभागीय आदेश दिनांक 01.12.2011 एवं 18.06.2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्रों के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिक किसी विशेष कारण यथा गम्भीर बीमारी, दुर्घटना या अन्य अपरिहार्य कारण से कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हैं तथा उनके पास आकस्मिक अवकाश शेष नहीं है, तो उनके द्वारा अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अवकाश का कारण संतोषजनक पाये जाने पर एक माह का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम है। एक माह से अधिक अवधि के अनुपस्थिति के प्रकरण राज्य मुख्यालय पर भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये थे।

जिलों द्वारा विभिन्न संविदा कार्मिकों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, मातृत्व अवकाश पश्चात वच्चे की देखभाल हेतु एवं अन्य कार्यों हेतु अवकाश पर जाने से पूर्व के एवं बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश से वापस लौटने पर एक माह से अधिक के अवकाश स्वीकृति के प्रकरण मार्गदर्शन हेतु राज्य स्तर पर भिजवाये जाते हैं जो विभागीय नियमों के अनुसार नहीं होने के कारण इस प्रकार के प्रकरणों में राज्य स्तर से निर्णय लिया जाना संभव नहीं है।

अतः राज्य स्तर पर इस तरह के प्रकरण मार्गदर्शन हेतु भिजवाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई संविदा कार्मिक बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित है, तो अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप उसके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जावे तथा यदि किसी संविदा कार्मिक ने अवकाश की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्थान किया है तो नियमानुसार एक माह तक के अवकाश के प्रकरणों का निस्तारण जिला स्तर पर किया जावे तथा एक माह से अधिक अवधि के प्रकरणों को स्वयं की अनुशंसा के साथ राज्य स्तर पर भिजवाया जावे।

(पी.सी. किशन)  
 आयुक्त, ईजीएस

**प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।

अतिरिक्त आयुक्त उत्तीय, ईजीएस